

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 263]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 23 जून 2021—आषाढ़ 2, शक 1943

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जून 2021

अधि. क्र. 10-एफ 4-47-2021-अठारह-1.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 86 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 355 की उप-धारा (2) के खण्ड (चार) के उपखण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा (कार्यपालन) नियम, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 32 में, उप-नियम (1) में, शब्द “संचालक” के स्थान पर, शब्द “आयुक्त/संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास”, स्थापित किए जाएं.

Noti. No. 10-F-4-47-2021-XVIII-1.—In exercise of the powers conferred by Sub-clause (a) of clause (iv) of sub-section (2) of Section 355 read with sub-section (2) of Section 86 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Municipal Service (Executive) Rules, 1973, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

In rule 32, in sub-rule (1), for the word “Director”, the words “Commissioner/Director, Urban Administration and Development”, shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.